रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGD. No. D.L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169] दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2014/पौष 10, 1936 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 168

No. 169] DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2014/PAUSA 10, 1936 [N.C.T.D. No. 168

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

खाद्य सुरक्षा विभाग
अधिसूचना

दिल्ली 31 दिसम्बर, 2014

सं. फा. 7(189)/12/डीओएफएस/प्रशा./9317–9326.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. 27/59–एचआईएम(I) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण निदेशालय में, सरकारी विश्लेषक के पद से संबंधित भर्ती नियमों की दिनांक 07 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या फा. 4(96)/04/पीएफए/प्रशा. के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या हटाये जाने के लिये की जाने वाली बातों को छोडकर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अनुमोदन से खाद्य सुरक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में **खाद्य विश्लेषक** के पद के लिये भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :–(i) इन नियमों को खाद्य सुरक्षा विभाग, **खाद्य विश्लेषक** भर्ती नियमावली, 2014 कहा जाएगा।

   (ii) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान** :– उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण, पे बैंड, ग्रेड पे, तथा उससे संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यता इत्यादि** :– उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :– ऐसा कोई भी व्यक्ति––

   (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

   (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :